

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कमांक/रीडर/2024/275/2024


दिनांक- 13/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार, जहाजपुर

विषय:- प्र.स.275/2024 अनवान सतार खां पुत्र हसनखां निवासी पीपलून्द बनाम गोपाल शर्मा पिता भूरालाल शर्मा निवासी पीपलून्द, प्रहलाद पिता जगदीश पूरी निवासी पीपलून्द, धन्ना पुत्र जगदीश निवासी पीपलून्द, वेदप्रकाश पिता मोहन निवासी पीपलून्द, राजु पिता हीरा गुर्जर निवासी पीपलून्द, लालाराम पिता हीरा गुर्जर निवासी पीपलून्द, हरचन्दा पिता देवकरण निवासी पीपलून्द, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगडी की पालना बाबत।।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम पीपलून्द प.ह. पीपलून्द आराजी सं. 122,123,124,125,126,127,13/9,3174/132, कुल किता 08 रकवा 4.2410 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगडी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीपलून्द को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 4000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 400 रूपये राजकोश में जमा करावे। पत्थरगडी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगडी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

सतार खां पुत्र हसनखां निवासी पीपलून्द
बनाम
गोपाल शर्मा पिता भूरालाल शर्मा निवासी पीपलून्द, वगैरह

मुकदमा नंबर 275/2024

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुकम
की तामील में
जारी हुये

तारीख
हुकम

13.05.2024

प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाशक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम पीपलून्द प.ह. पीपलून्द आराजी सं. 122,123,124,125,126,127,13/9,3174/132, कुल किता 08 रकबा 4.2410 हैक्टैयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाशक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम पीपलून्द प.ह. पीपलून्द आराजी सं. 122,123,124,125,126,127,13/9,3174/132, कुल किता 08 रकबा 4.2410 हैक्टैयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीपलून्द को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 4000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 400 रु राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।
आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा